न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 06/2021 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)

GCMS NO : 2021/21

अनवान

1. सरकार जरिये तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर।

— प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती मीना पत्नि श्री जगदीश लाल उपाध्याय ब्राह्मण, निवासी बामनिया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।
2. श्री जगदीशलाल उपाध्याय पुत्र चिरंजीलाल उपाध्याय, निवासी बामनिया, तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर।
3. श्री नवीन पुत्र रुपराम उपाध्याय ब्राह्मण, निवासी बामनिया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।
4. श्री हितेश पुत्र रुपराम उपाध्याय ब्राह्मण निवासी बामनिया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।
5. श्रीमती कमलादेवी पत्नि श्री रुपराम उपाध्याय ब्राह्मण, निवासी बामनिया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।
6. श्रीमती सरिता पुत्री श्री रुपराम पत्नि दोलतराम ब्राह्मण, निवासी बामनिया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।
7. श्रीमती आशा पुत्री श्री रुपराम पत्नि पुरुषोत्तम ब्राह्मण, निवासी गींगला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।
8. श्रीमती जया पुत्री श्री रुपराम पत्नि सुरेन्द्र ब्राह्मण, निवासी ईन्टाली खेडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।
9. श्री सागर पुत्र मनीष पाण्डे ब्राह्मण, निवासी देवगांव, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।

— विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री विनोद ओदिच्य, अधिवक्ता विपक्षीगण 3 से 9 ।

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4), [illegible] भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.05.20 16:55:03 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक 19-05-2022

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा बामनिया की आराजी नम्बर 3426 रकबा 0.20 हेक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को आंवटन किया गया था। अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 की पत्नी है। अप्रार्थी संख्या 2 आवंटन के समय राज्य कर्मचारी होकर वर्तमान में सेवानिवृत हो चुके है। कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति सलुम्बर से प्राप्त पत्र क्रमांक 698 दिनांक 06.07.2021 अनुसार इनकी राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति 02.11.1979 को हुई थी एवं दिनांक 03.12.2016 को सेवानिवृत हो चुके है। वक्त आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आते है, और आंवटन नियमों के नियम 11 के तहत कोई पात्रता नहीं रखते है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त तथ्यों को जानते हुए भी दिनांक 01.11.2001 को ग्राम पंचायत बामनिया मे आयोजित केम्प मे अप्रार्थी संख्या 1 कृषि भूमि आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष स्वंय को भूमिहिन कृषक बताते हुए ग्राम बामनिया की आवंटन हेतु उदधोषित बिलानाम खसरा संख्या 3426 रकबा 0.20 हेक्टेयर भूमि आंवटन हेतु निर्धारित प्रारुप–3 में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

यह कि आंवटन सलाहकार समिति के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 और 2 ने अप्रार्थी संख्या 2 राज्य कर्मचारी होने का तथ्य जानबूझकर छुपाया गया, जिस कारण आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 01.11.2001 अप्रार्थी संख्या 1 को ग्राम बामनिया की बिलानाम खसरा संख्या 3426 रकबा 0.20 हे. कृषि भूमि आंवटित की गई, जिसका कब्जा सिपुर्दगी के बाद उपखण्ड कार्यालय से आंवटन का पट्टा जारी हुआ है एवं राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु सनद क्रमांक/राज/199/2002 दिनांक 05.06.2002 भी जारी की गई। उक्त सनद का राजस्व रेकार्ड मे नामान्तरकरण संख्या 305 दिनांक 01.11.2002 द्वारा अमल दरामद किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने तहसीलदार सलुम्बर से खातेदारी अधिकार भी प्राप्त कर लिया। नवीन राजस्व ग्राम बिचली मगरी बनने से उक्त खसरा नम्बर ग्राम बिचली मगरी के राजस्व रेकार्ड में आ गये। रोटेशन जमाबन्दी मे उक्त आवंटित खसरा संख्या के नवीन जमाबन्दी में अन्तिम खसरा संख्या के रुप में नये खसरा संख्या 5807/3426 दर्ज किये गये। बाद में अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने खाते दर्ज भूमि मे से 0.1550 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 3 को बक्षीश कर दी गई। राजस्व रेकार्ड में नामान्तरकरण संख्या 220 दिनांक 22.12.2012 द्वारा अमल बरामद कर किया गया। वर्तमान राजस्व रेकार्ड ग्राम बिचली मगरी की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 की खाता संख्या 165 अनुसार आराजी नम्बर 5807/3426 रकबा 0.20 हेक्टेयर भूमि मीना पत्नि जगदीशलाल उपाध्याय ब्राह्मण 9/40 रुपराम पिता हिम्मतराम उपाध्याय ब्राह्मण 31/40 संयुक्त रुप से खातेदारी दर्ज है। यह कि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 की खाता संख्या 165 मे दर्ज खातेदार श्री रुपराम पिता हिम्मतराम उपाध्याय ब्राह्मण की दिनांक 23.03.2021 को मृत्यु हो चुकी है, जिनके वारिशान अप्रार्थी संख्या 3 से 9 है। उक्त वारिशान के नाम नामान्तरकरण संख्या 283 दिनांक 23.07.2021 दर्ज कर दिया गया है। यह कि आवंटन नियम 1970 के नियम 11 के तहत कृषि प्रयोजनार्थ आंवटन केवल भूमिहिन कृषकों को ही किया जा सकता है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 आंवटन के समय भूमिहिन कृषक की श्रेणी में नहीं आने से आंवटन के लिए पात्र नहीं था। अप्रार्थी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.05.20 16:55:03 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा आंवटन कपटपूर्ण और मिथ्याव्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया है। यह कि आंवटन नियम 14(4) में यह स्पष्ट है कि यदि आंवटन कपटपूर्ण और मिथ्याव्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया है अथवा नियमो के विरुद्व किया गया है तो आवंटन रद्द किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 को किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही निरस्त योग्य होने से बाद में खातेदारी अधिकार दिया जाना एंव किसी प्रकार का रहन बेचान प्रभावहिन है। इस प्रकार आवंटन शर्तो की पालना न करने से विपक्षीगण के पक्ष मे किया गया उक्त आवंटन खारिज किया जाकर भूमि बिलानाम सरकार दर्ज कराने एवं भूमि को कब्जेराज लेने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। विपक्षीगण की ओर से श्री विनोद ओदिच्य अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय से आवंटन से संबधित मूल पत्रावली संख्या 199/2002 तलब की जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस प्रारंभ करते हुये राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं अनुरोध किया कि मौजा मौजा बामनिया की आराजी नम्बर 3426 रकबा 0.20 हेक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को आंवटन किया गया था। अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 की पत्नी है। अप्रार्थी संख्या 2 आवंटन के समय राज्य कर्मचारी होकर वर्तमान में सेवानिवृत हो चुके है। कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति सलुम्बर से प्राप्त पत्र क्रमांक 698 दिनांक 06.07.2021 अनुसार इनकी राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति 02.11.1979 को हुई थी एवं दिनांक 03.12.2016 को सेवानिवृत हो चुके है। वक्त आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आते है, और आंवटन नियमों के नियम 11 के तहत कोई पात्रता नहीं रखते है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 63 में संशोधन कर दिया गया है। गलत तरिके से प्रदान किये गये खातेदारी अधिकार के उपरांत भी आंवटन निरस्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे उक्त आवंटन को निरस्त कर भूमि पुनः बिलानाम सरकार दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः विपक्षीगण के पक्ष मे किये गये कथित आवंटन को निरस्त किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपने समर्थन में आर.बी.जे. 2007 पृष्ठ 492 , आर.बी.जे. 2019 पृष्ठ 85, आर.बी.जे. 2014 पृष्ठ 120, आर.आर.डी.1999 पृष्ठ 486, आर.आर.डी. 2002 पृष्ठ 1, आर.आर.डी.1994 पृष्ठ 764, की प्रति न्यायिक दृष्टांत के रुप में प्रस्तुत की।

विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद ओदिच्य ने कथन किया तथाकथत भूमि विधि अुनसार आवंटित हुई है एवं उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरांत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रादुर्भाव हो जाता है एंव 14(4) के तहत कार्यवाही नहीं की जा स[illegible] के उक्त आवंटन के 21 वर्ष पश्चात आवंटित भूमि के विपक्षीगण खातेदारी काश्तकार हो [illegible]। वक्त आवंटन उक्त जमीन बजंड थी, जिसे आवंटन उपरान्त विपक्षीगण ने कृषि उपयोगी बनाया है। वक्त आवंटन प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.05.20 16:55:03 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार स्वयं आवंटन के समय मौजूद थे आवंटन के 21 वर्ष पश्चात जानबूझकर प्रार्थी द्वारा गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। विपक्षीगण को आवंटित भूमि के भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोग मे ली जाती है। आवंटन मे विपक्षीगण द्वारा कोई मिसरिप्रजन्टेशन नही किया है। एवं मयाद के बिंदु पर भी उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, विपक्षीगण के जवाब, आवंटन पत्रावली आदि का गंभीरता से अवलोकन किया एवं उसमे वर्णित तथ्यों पर मनन किया। मामले में सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभय पक्ष को सुना गया एवं विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरे प्रकरण पर चस्पा नही होती है। प्रकरण में कपट एवं मिथ्या तथ्यों का प्रश्न निहित होने से न्यायहित में विलम्ब की अवधि को कण्डोन किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 2 (iii-B) के प्रावधान (a) के तहत राजकीय कार्मिक या राजकीय कार्मिक की पत्नी को भूमिहीन कृषक नहीं माना गया है। तथा नियम 11(1) के तहत भूमि केवल भूमिहीन कृषक को ही आंवटित की जा सकती है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 के पति राजकीय सेवा में होते हुए भी मिसरिप्रजेन्टेशन कर आवेदन पत्र में तथ्यो को छिपाकर आवंटन करवाया है। जहॉ तक खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14(4) की कार्यवाही नहीं किये जाने का प्रश्न है प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिनसे यह स्पष्ट है कि फ्रॉड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन से किये गये आंवटन को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। गलत तरीके से प्रदान किये गये खातेदारी अधिकार के उपरांत भी आंवटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण मे चस्पा होते हैं। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर हम विपक्षीगण को आवंटित कथित आराजी पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किये गये आवंटन की अप्रार्थी संख्या 2 के राजकीय कार्मिक (अध्यापक) के पद पर होने के तथ्य को छूपाकर आवटंन करवाना कपटपूर्ण एंव मिथ्याव्यपदेशन (फ्रॉड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन) से प्राप्त करने की श्रेणी में होने से खारिज करना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार सलुम्बर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4), कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षीगण के पक्ष मे ग्राम बिचली मगरी प.ह. बामनिया की बिलानाम खसरा संख्या 3426 रकबा 0.20 हेक्टेयर भूमि पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया आवंटन दिनांक 01.11.2001 को कपट एवं मिथ्या कथन से प्राप्त करने के कारण खारिज किया जाता है तथा बक्षीश नामान्तरकरण संख्या 220 दिनांक 22.12.2012 को प्रभाव शून्य करते हुए भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.05.20 16:55:03 IST
Reason: SelfAttested

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर